

खुला पत्र

दैनिक घटती घटना

कलम बंद

सरकार

पत्रकार

तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान का... 66 वां दिन




कलम
बंद... का
66 वां
दिन

समाचार पत्र में छपे समाचार
एवं लेखों पर सम्पादक की
सहमति आवश्यक नहीं है।
हमारा ध्येय तथ्यों के आधार
पर सटिक खबरें प्रकाशित
करना है न कि किसी की
भावनाओं को ठेस पहुंचाना।
सभी विवादों का निपटारा
अम्बिकापुर न्यायालय
के अधीन होगा।

घटती-घटना के स्थानीय पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभविंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अदिनाश कुमार सिंह



शासकीय भूमि पर काबिज नगरीय निकाय के मतदाता नहीं देंगे भाजपा को वोट तो क्या उनके घर व प्रतिष्ठान पर भी चल जाएगा बुलडोजर ?

1पूर्व सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के कई दशकों से काबिज लोगों को भूस्वामी हक देने के लिए आबंटन/त्यवस्थापन/फ्री होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त क्यों हुआ ?



-भूपेन्द्र सिंह-
अम्बिकापुर, 05 सितम्बर
2024 (घटनी-घटना)

सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार एक आदेश को लेकर काफी सुखियों में है। हो सकता है कि इसका नुकसान भी जारी निकाय चुनाव में उठाना पड़े, पर इस बीच यह भी संभावना जारी हो रही है कि भाजपा को नगरीय निकाय चुनावों में उत्तीर्ण हो जाएगा। इसका कारण यह भी जारी निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर तो कहीं पूर्व सरकार के परिपत्र को निरस्त होने नहीं किया गया? जो आदेश वर्ष परिपत्र के अंदर दर्शकों से नज़ूल भूमि पर काबिज करने की अपील होती है, उत्तीर्ण होने पर उसका एक अद्यतना वाला अधिकारी नहीं है। और यदि वह वोट नहीं दिए तो कार्यवाही भी हो जाएगी और उत्तीर्ण लोगों का नुकसान हो जाएगा। जो उत्तीर्ण होने पर उत्तीर्ण कर अपना आशियाना बनाया था। लोगों के लिए जो नगरीय निकाय चुनावों में अनेक दशकों से नज़ूल भूमि पर काबिज करने की अपील होती है, उत्तीर्ण सरकार कर रहा है। और अपना आशियाना बनाकर जीवन यापन कर रहा है, उत्तीर्ण सरकार भू स्वामी हक देने के लिए पूर्व सरकार को निरस्त किया गया।

नए-नए राजस्व मंत्री भी नहीं समझ पाएं तथा पूरे मामले को ?

पूर्व मामले में राजस्व मंत्री की भूमिका को लेकर यह बात सामने आ रही है की या तो उनकी सहमति ऐसे ही ले ली गई या उत्तीर्ण बताया ही नहीं गया, नज़ूल मिलाकर देखा जाए तो पूरा खेल एक मंत्री की छवि बचाने के लिए खेला गया और जिससे सासन की छवि धूमिल हुई राजस्व विभाग की छवि धूमिल हुई।

क्षेत्रों के वर्तमान सरकार की नीति का नगरीय निकाय चुनावों में सरकार को फायदा होगा या नुकसान हो अब चुनावों के बाद पता चल सकेगा। वैसे माना जा रहा है कि वह निरस्तीकरण नगरीय

ने एक आदेश 2019 में निकाला था जिससे पूर्व प्रदेश के 50-60 प्रतिशत आजादी के लोगों को लाभ मिलता और वह भू-स्वामी हक पा जाते जिसके लिए कई आवेदन भी लगे हुए थे, जिसमें कुछ को सरकार रहते हुए ही भूस्वामी हक प्रदान कर दिया गया था और कुछ के आवेदन अपील भी लाभित थे, लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किया जाता है, इस विभाग के परिपत्र आदेश एक-4-14/सात-1/2019 दिनांक 23 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के क्रमांक/एक-4-14/सात-1/2019 के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त व कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किया जाता है, इस विभाग के परिपत्र आदेश एक-4-14/सात-1/2019 दिनांक 23 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के क्रमांक/एक-4-14/सात-1/2019 के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त व कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किया जाता है, इस विभाग के परिपत्र आदेश एक-4-14/सात-1/2019 दिनांक 23 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के क्रमांक/एक-4-14/सात-1/2019 के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त व कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया है।

निरस्त किया गया आदेश

23 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के क्रमांक/एक-4-14/सात-1/2019 के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त व कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया कि नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त किया जाता है, इस विभाग के परिपत्र आदेश एक-4-14/सात-1/2019 दिनांक 23 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटलनगर के क्रमांक/एक-4-14/सात-1/2019 के माध्यम से प्रदेश के सभी संभाग आयुक्त व कलेक्टर को निर्देश जारी किया गया है।

26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र आदेश एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया था उसे निरस्त कर दिया गया, इस बात से आज भी कई लोग प्रदेश में अनजान हैं, पर धीरे-धीरे इस बात की जानकारी की रखी जाएगी। राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूमिक्षमी हक प्रदान करने संबंधी निर्देश/परिपत्रों जारी किया गया है। राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन एवं भूमिक्षमी हक प्रदान करने संबंधी पूर्व सरकार ने जारी किया गया है। इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र आदेश एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019।

26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया था उसे निरस्त कर दिया गया, इस बात से आज भी कई लोग प्रदेश में अनजान हैं, पर धीरे-धीरे इस बात की जानकारी भी अब लोगों को होने लगी है। निरस्त किए गए आदेश के बाद सबसे पहले कार्यवाही अविकापुर में स्थित एक अवलोकन के दफ्तर व प्रतिष्ठान पर की गई थी।

3. राज्य शासन, एतद्वारा, नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों को निरस्त करने सकती है।

4. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

5. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

6. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

7. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

8. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

9. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

10. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एक-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11.09.2019, 26.10.2019, 20.05.2020 एवं 24.02.2022 जिसमें नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन/व्यवस्थापन/फ्री-होल्ड के संबंध में जारी परिपत्रों/निर्देशों पूर्व सरकार ने जारी किया गया है।

11. इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र क

खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल... क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध
छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध?

अम्बिकापुर, 05 सितम्बर 2024 (घट्टी-घट्टा)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है... छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है... केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है... पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है... यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है... जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिवाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं... उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं... उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले... और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें?

क्या छापें माननीय प्रधानमंत्री जी?



कलम
बंद...का
66 वां
दिन

घट्टी-घट्टा के स्थानीय पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...



कलम
बंद...का
66 वां
दिन

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

भारत में सत्ये पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है?

अम्बिकापुर, 05 सितम्बर 2024(घट्टी-घट्टा)। भारत अपने पत्रकारों को निःशर्म होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है... इन दिनों... कुछ को छोड़कर... हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है... नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे... इसके कारण, आधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता है... दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को छो रहे हैं वयोंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है... देश और दुनिया को डरा दिया है... वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुखियों में ला दिया है... जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

अब आप ही पूछकर बताईए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर साहब... कि क्या छापें?

कलम
बंद...का
66 वां
दिन

कलम
बंद...का
66 वां
दिन

कलम
बंद...

कलम
बंद...

घट्टी-घट्टा के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक : - अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

क्या भ्रष्टाचार का मामला वही होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

» भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत... » कमी दिखाओ तो दिक्कत...

» जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर, 05 सितम्बर 2024(घट्टी-घट्टा) | आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या करें? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पत्रकार दौड़ रहे पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र...

राष्ट्रपति महोदया, आखिर छापें क्या ?



कलम
बंद...

कलम
बंद...का
66 वां
दिन



कलम
बंद...का
66 वां
दिन



कलम
बंद...

घट्टी-घट्टा के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभविंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह



तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलम बंद अभियान का 66 वां दिन

छत्तीसगढ़ सरकार बुलडोजर कार्यवाही
झेलने के बावजूद... इंकलाब होता
रहेगा इंसाफ तक...

क्या छापें कलेक्टर विलास भोसकर जी ?

क्यूं न लिखें सच ?

इमरजेंसी पर बात... हर बात पर आरोप... तो छत्तीसगढ़ में एक तुगलकी फरमान पर आदिवासी अंचल से विगत 20 वर्षों से प्रकाशित अखबार पर क्यों किया गया जुर्म... स्पष्टीकरण देना पड़ेगा?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा एक दैनिक अखबार को... ?

घटती-घटना के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह